न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94 / 19 वाद
पूर्व प्रकरण संख्या 398 / 15

GCMS NO : 019/00723

सन्नी भण्डारी पिता श्री नरेन्द्र जी भण्डारी, निवासी–75, पोलो ग्राउण्ड, उदयपुर
.....वादी

बनाम

1. श्रीमती मन्जु सिंघवी पत्नि नरेश जी सिंघवी, निवासी– 10, बाठेड़ा हाउस, फतहपुरा, उदयपुर
2. श्रीमती लीला लोढा पत्नि मनोहरलाल जी लोढ़ा, निवासी–प्लॉट नं0 2, टेक्नोक्रेट सोसायटी, सड़क नं0 24, उदयपुर

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री कन्हैयालाल चौड़िया अधिवक्ता वादी
श्री हर्षद जोशी अधिवक्ता प्रतिवादगण

निर्णय

दिनांक : 15.04.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वादी के खातेदारी एवं अधिपत्य की कृषि भूमि राजस्व ग्राम नोहरा, पटवार मण्डल नाई तह0 गिर्वा उदयपुर में आराजी संख्या 3085 रकबा 0.8650 हैक्टयर, आराजी संख्या 3086 रकबा 0.9100 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के चारों तरफ पिछले करीब 100 वर्षो से बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। उक्त भूमि पर अधिपत्य वादी का मौके पर चला आकर शान्तिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया कृषि एवं घास काटने के रूप में बराबर वादी एवं उसके पिता द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में वादी बाहर होने की वजह से वादी की ओर से उसके पिता द्वारा उक्त भूमि की देखरेख की जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 18.19.2011 को अपने मजदुर व कारीगर को लेकर वादी की भूमि में असवैधानिक तरीके से प्रवेश किया तथा वादी की बनी हुई दक्षिण दिशा तरफ की कोट को लगभग 60–70 फिट तक गिरा दी गई एवं उसके साथ ही वादी की भूमि में कब्जा करने की बदनियत से पत्थर आदि डाल दिए है, तथा मारोमार कारतामीर की जा रही है। इसकी शिकायत तुरन्त पुलिस थाना नाई में की गई किन्तु पुलिस वालों ने वादी के पिता को आश्वासन दिया कि मौके पर उन्हें रोकते है। किन्तु जानबूझकर थाने वाले ने कोई कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्ध नही की है। वादी के पिता एक संजीदगी वाला व्यक्ति है। वादी के पिता उक्त दिनांक को अपनी भूमि पर ग[illegible]ां पर देखा कि 25–30 मजदूर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी की जमीन में नींवे खोद रहे थे उन्हे वादी के पिता द्वारा मना किया और वादी के पिता घर आ गए फिर करीब 2:30 बजे वादी के पिता वापस जमीन पर गए और प्रतिवादीगण की ओर से बुलाए गए गुण्डे ने वादी के पिता के साथ हाथापाई की और वादी के पिता को जान से मारने की धमकी भी दी। वादी अपनी भूमि का विधिक खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर अधिपत्य है जिससे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण वादी के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में प्रवेश नहीं करें तथा वादी की 100 वर्ष पुरानी भूमि के चारों तरफ बनी हुई कोट को नहीं गिरावे, न मौके की स्थिति को बदले।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया कि प्रतिवादीगण के खातेदरी हक एवं अधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या 3057 व 3084 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3200 हैक्टयर भूमि ग्राम नोहरा में स्थित होकर उत्तरदाता प्रतिवादी सं0 1 व 2 का संयुक्त रूप से अपनी उक्त आराजी भूमि पर सुरक्षा दिवार का निर्माण करवाया है तथा उक्त आराजी भूमि पर आवासीय संपरिवर्तन करवाकर अपने आवासीय उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण का अपनी भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। लेकिन वादी द्वारा बिना हक प्रतिवादीगण की उक्त आराजी भूमि पर निर्मित चारदीवारी, कोट–बाड़ इत्यादि को ध्वस्त करने व नाजायज हकदारी जताने के आशय से वादी ने एक मिथ्या दावा प्रस्तुत किया है। वादी प्रस्तुत दावें एवं अपनी भूमि की आड़ में प्रतिवादीगण की उल्लेखित भूमि पर नाजायज दखलदाजी चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत जवाब एवं प्रतिदावे को अन्तस्थ करते हुए वादी का वाद सव्यय खारीज फरमाते हुए वादी को उसकी अपनी भूमि तक ही सीमित रखा जावे एवं प्रतिवादीगण की उल्लेखित भूमि को सुस्ष्ट् ढंग से पृथक्करणीय ढंग से दर्शाते हुए वादी के दावे एवं प्रतिवादी के प्रतिदावे का न्यायपूर्ण निस्तारण किया जावे।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे का जवाब देते हुए कथन किया गया कि प्रतिदावे में आ0स0 3057 व 3084 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3200 है0 भूमि राजस्व ग्राम नोहरा में स्थित होने का उल्लेख किया है किन्तु उक्त भूमि पर प्रतिवादी का अधिपत्य नहीं होकर वादी का अधिपत्य है तथा प्रतिवादी का यह कथन है कि उक्त आराजी का संपरिवर्तन करवा लिया है। यदि संपरिवर्तन करवा लिया है तो उक्त प्रतिदावे का श्रवणाधिकार श्रीमान् के न्यायालय के अधिक्षेत्र में नही है, जिसे उक्त प्रतिदावा प्रथम दृष्ट्या खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण के निस्तारण हेतु दिनांक 14.12.15 को न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया मौजा नोहरा पटवार मण्डल नाई तह0 गिर्वा की हाल आ0स0 3085 रकबा 0.8650 है0, आ0स0 3086 रकबा 0.9100 है0 वादी का विधिवत् खातेदार होकर व अधिपत्यधारी होने से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested

2. आया मौजा नोहरा पटवार मण्डल नाई तह0 गिर्वा की हाल आ0स0 3057 व 3084 कुल किता 02 रकबा 4.3200 है0 का प्रतिवादीगण खातेदार होकर अधिपत्यधारी होने से वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....प्रतिवादीगण

3. आया मौजा नोहरा की हाल आ0स0 3057, 3084 का कृषि से अकृषि में परिवर्ततन होने से उक्त प्रतिदावा चलने योग्य नही है इसे खारिज फरमाया जावे, इससे प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....प्रतिवादीगण

4. अनुतोष।

प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

प्रकरण मे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार से मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं न्यायहित में तहसीलदार गिर्वा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में दिनांक 13.03.2023 को तहसीलदार गिर्वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपनी रिपोर्ट में बतया गया कि राजस्व ग्राम नोहरा के आराजी नम्बर 3085 रकबा 0.8650 हैक्टयर, किस्म आबादी, अराजी नम्बर 3086 रकबा 0.9100 हैक्टयर किस्म भु.का. होकर सनी पुत्र नरेन्द्र सिंह भण्डारी हिस्सा पूर्ण जाति जैन सा. के 76 भुपालपुरा उदयपुर खातेदार के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 3057 रकबा 3.9400 हैक्टयर, किस्म आबादी, आराजी नम्बर 3084 रकबा 0.3800 हैक्टयर किस्म आबादी होकर मन्जु पत्नि नरेश हिस्सा 1/2 जाति सिंघवी नि. 10 बाठेड़ा हाउस उदयपुर खातेदार, लीला पत्नि मनोहर लाल हिस्सा 1/2 जाति लोढ़ा नि. टेक्को कपुर सोसायटी प्लॉट नं0 2 सड़क नं0 24 पूना खातेदार के नाम दर्ज है। मौके पर बाउण्ड्रीवाल आराजी नम्बर 3057 एवं 3084 में बनी हुई है। जिस पर आपत्ति बहस हेतु अवसर दिया गया किन्तु पक्षकारान द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रकरण पुनः अन्तिम बहस हेतु नियत किया जाकर वास्ते सुनवाई आज पेश हुआ।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा मेरी खातेदारी की आराजीयात आ0स0 3085 व 3086 में बनी बाउण्ड्रीवाल को गिरा दी गई है एवं असंवैधानिक तरीके से प्रवेश किया जा जा रहा है, जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। दौराने बहस प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि आ0स0 3085 एवं 3086 वादी के कब्जे काश्त की आराजी है एवं आ0स0 3057 व 3084 मेरी कब्जे काश्त की भूमि है। हम प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से अपनी आराजी पर दीवार का निर्माण किया गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को अपने कब्जेकश्त की आ0स0 3057 व 3084 पर वादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested

उक्त पत्रावली में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः—

1. आया मौजा नोहरा पटवार मण्डल नाई तह0 गिर्वा की हाल आ0स0 3085 रकबा 0.8650 है0, आ0स0 3086 रकबा 0.9100 है0 वादी का विधिवत् खातेदार होकर व अधिपत्यधारी होने से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....वादी

- तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम नोहरा पटवार मण्डर नाई की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 पेश की गई। जिसके अनुसारन खाता संख्या नया 398 में आराजी संख्या 3085 रकबा 0.8650 हैक्टयर, आराजी संख्या 3086 रकबा 0.9100 हैक्टयर वादी सन्नी पिता नरेन्द्रसिह भण्डारी के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादी का होना साबित कराया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादीगण का है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया मौजा नोहरा पटवार मण्डल नाई तह0 गिर्वा की हाल आ0स0 3057 व 3084 कुल किता 02 रकबा 4.3200 है0 का प्रतिवादीगण खातेदार होकर अधिपत्यधारी होने से वादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....प्रतिवादीगण

- तनकी सख्या 2 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। उक्त तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे होने से प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम नोहरा पटवार नया 429 में आराजी संख्या 3057 व 3084 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3200 हैक्टयर प्रतिवादीगण मन्जु पत्नि नरेश सिंघवी 1/2 हिस्सा व लीला लोढ़ा पत्नि मनोहरलाल लोढ़ा 1/2 हिस्सा, के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात आ0स0 3085, 3086 वादीगण के नाम वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है एवम् मौके पर बाउण्ड्रीवाल आ0स0 3084 एवं 3057 पर बनी हुई है, जो प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त में है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया मौजा नोहरा की हाल आ0स0 3057, 3084 का कृषि से अकृषि में परिवर्तन होने से उक्त प्रतिदावा चलने योग्य नही है इसे खारिज फरमाया जावे, इससे प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested

- प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तु, सबूतो एवं दस्तावेजो के आधार पर तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय होने से प्रतिवादीगण अपने कब्जे काश्त की आराजीयात में वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय होने से यह तनकी नम्बर 3 भी प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्त विवेचन अनुसार न्यायालय का मत है कि वादी द्वारा अपना वाद एवं प्रतिवादीगण अपना प्रतिवाद ठोस आधारो पर साबित किया गया है। वादीगण का हिस्सा एवं कब्जा वादग्रस्त भूमि आराजी संख्या 3085 व 3086 पर एवम् प्रतिवादीगण का हिस्सा एवं कब्जा आराजी संख्या 3057 व 3084 में होना दस्तावेजो साक्ष्य अनुसार एवम् तहसीलदार गिर्वा की रिपोर्ट के आधार पर भी प्रमाणित हुआ है।

अतः तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में तथां तनकी संख्या 2 व 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किये जाने से वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता जाकर वादी/प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जेकाश्त की आराजीयात आराजी संख्या 3085 रकबा 0.8650 हैक्टयर, आराजी संख्या 3086 रकबा 0.9100 हैक्टयर भूमि में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण प्रवेश नही करें तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करे एवं न ही अपने नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद भी स्वीकार किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की आराजीयात भूमि आराजी संख्या 3057 व 3084 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3200 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में वादी प्रवेश नही करें तथा प्रतिवादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करे एवं न ही अपने नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। तहसीलदार गिर्वा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 94/19 सन 2019 अनवान सन्नी भण्डारी पिता श्री नरेन्द्र जी भण्डारी, निवासी–75, पोलो ग्राउण्ड, उदयपुर बनाम (1) श्रीमती मन्जु सिंघवी पत्नि नरेश जी सिंघवी, निवासी– 10, बाठेड़ा हाउस, फतहपुरा, उदयपुर (2) श्रीमती लीला लोढा पत्नि मनोहरलाल जी लोढ़ा, निवासी–प्लॉट नं0 2, टेक्नोक्रेट सोसायटी, सड़क नं0 24, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री कन्हैयालाल चौड़िया अधिवक्ता वादी एवं श्री हर्षद जोशी अधिक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादी का वाद एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता जाकर वादी/प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जेकाश्त की आराजीयात आराजी संख्या 3085 रकबा 0.8650 हैक्टयर, आराजी संख्या 3086 रकबा 0.9100 हैक्टयर भूमि में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण प्रवेश नही करें तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करे एवं न ही अपने नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावें तथा प्रतिवादीगण का प्रतिवाद भी स्वीकार किया जाकर वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त की आराजीयात भूमि आराजी संख्या 3057 व 3084 कुल किता 2 कुल रकबा 4.3200 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में वादी प्रवेश नही करें तथा प्रतिवादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में हस्तक्षेप नही करें उक्त कार्य न तो स्वंय करे एवं न ही अपने नौकर, एजेन्ट आदि से ही करावे। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। तहसीलदार गिर्वा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलम दरामद करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....15.....माह .....04.....सन् .....2024..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध		
योग			योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.25 13:53:59 IST
Reason: SelfAttested